रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 671] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 1991/कार्तिक 20, 1913
No. 671] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 1991/KARTIKA 20, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1991

का.आ. 776 (अ) :—सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन निर्माण और आवास और आपूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 707 (अ) दिनांक 22 मार्च, 1961 और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

का.आ. 870 (अ) दिनांक 27 अक्तूबर, 1989 के अतिक्रमण में, जहां तक यह दिनांक 22 मार्च, 1961 को अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 7 में विनिर्दिष्ट अधिकारी से संबंधित है, इस प्रकार के अतिक्रमण से पहले की गई अथवा छोड़ी गई कार्रवाई के अतिरिक्त केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री एल.सी. गोयल, महा प्रबंधक (उत्तर), दिल्ली परिवहन निगम के एक अधिकारी को जो भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष है उक्त अधिनियम के प्रयोजन से सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी, दिल्ली परिवहन निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी परिसरों मामले में उक्त अधिनियम के तहत सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उनके लिए नियत कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा ।

[सं. ए-12024/4/91-टी ए जी]

जी.के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1991

S.O. 776(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Works and Housing and Supply No. S.O. 707 dated 22nd March, 1961 and Ministry of Surface Transport No. S.O. 870(E) dated 27th October, 1989, so far as it relates to the officer specified at S. No. 7 of the Table to the notification dated 22nd March, 1961, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government herby appoints Shri L. C. Goel, General Manager (North), Delhi Transport Corporation, New Delhi, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government, to be the Estate Officer for the purpose of the said Act and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act in respect of the public premises under the administrative control of the Delhi Transport Corporation.

[No. A-12024|4|91-TAG]

G. K PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991